पत्रांक–उप/मु0मं0नि0यो0–19–02/2017/3302/पं0रा0

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

अमृत लाल मीणा, भा0प्र0से0

प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 14/06/2018

विषयः **बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के पैनल से कार्यपालक सहायक की सेवा प्रखंड स्तर पर लेने के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना की कंडिका–4(iii) में प्रखंड स्तरीय संरचना में मानव बल के संबंध में यह प्रावधान किया गया है कि योजना को क्रियान्वित कराने के लिए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के स्तर पर कार्यालय सहायक को जोड़ा जाएगा, जो योजनाओं से संबंधित आकड़ों, रिपोर्टिंग, लेखा विवरण आदि की समयबद्ध रिपोर्टिंग सुनिश्चित करेगा।

2. तद्नुसार यह अनुरोध है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के अन्तर्गत जिला स्तर पर संधारित पैनल में से प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय में एक–एक कार्यपालक सहायक की प्रतिनियुक्ति शीघ्र की जाये।

3. इन कार्यपालक सहायकों को वहीं मानदेय भुगतान किया जाएगा, जो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के अन्तर्गत अनुमान्य है। ये उन्हीं शर्त्तों के अधीन कार्यरत रहेंगे।

4. मानदेय की अनुमान्य राशि पंचायती राज विभाग द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को आवंटित की जाएगी। जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा इन कार्यपालक सहायकों के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। जिला पदाधिकारी के स्तर से कार्यपालक सहायकों की सेवा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी, जो अपने स्तर से प्रखंडवार सम्बद्धता करेंगे।

विश्वासभाजन

14/6/18

(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक: उप/मु0मं0नि0यो0–19–02/2017/3302/पं0रा0 पटना, दिनांक 14/06/2018

प्रतिलिपि : सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को यह निदेश दिया जाता है कि वे जिला पदाधिकारी से सम्पर्क करके कार्यपालक सहायकों की सेवा प्राप्त कर अगले सात दिनों के अन्दर प्रत्येक प्रखंड में एक–एक कार्यपालक सहायक की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही अनुपालन प्रतिवेदन निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

14/6/18

(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव